FORM NO. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम सूरजगढ़

निमला बनाम मोहरसिंह

मुकदमा 212 नं. 100 सन् 2017

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए ।
19/01/21	वकील पक्षकारान उपस्थित / पीठासीन अधिकारी अवकाश / भ्रमण / अन्य कार्य पर है। मिसल आमन्दा दिनाक दिनाक 25-01-21 को पेश हो। रीडर	
25/01/21	वकील पक्षकारान उपस्थित / पीठासीन अधिकारी अवकाश / भ्रमण / अन्य कार्य पर है। मिसल आमन्दा दिनाक दिनाक 04-02-21 को पेश हो। रीडर	
04/02/21	पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकारान उपस्थित। पत्रावली पर पुनः बहस सुनी गई मिशल वास्ते आदेश दिनांक 11-02-21 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी सूरजगढ़	
11/02/21	पत्रावली पेश हुई। बहस पूर्व में सुनी जा चुकी है आज आदेश किया जाना है। बहस पर मनन किया गया व पत्रावली का [illegible] किया गया। पत्रावली के अवलोकन से [illegible] साक्ष्य सबूतों से प्रार्थीगण का [illegible] मामला प्रतीत होता है तथा सुविधा का संतुलन व अपूर्णीय क्षति का बिन्दु प्रार्थीगण के पक्ष में भली भांति साबित है तथा विवादित भूमि में प्रार्थीगण का हित	

Signature Not Verified
Digitally signed by Abhilasha
Date: 2021.08.06 16:30:16 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर अहकाम हुक्म में जारी
	निहित है। ऐसी स्थित में प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर आदेश दिनांक 19-06-2017 को पारित स्थगन आदेश को ~~कन्फर्म~~ ता० दौराने दावा कन्फर्म किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो व दावा के साथ संलग्न हो। उपखण्ड अधिकारी सूरत	

Signature Not Verified

Digitally signed by Abhilasha
Date: 2021.08.06 16:30:16 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner